










11/88

फर्द अहकाम

लेखराज वगै० बनाम जयराम वगै०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर  
केस संख्या 93 / 2025 दावा बाबत घोषणा खातेदारी व स्थायी निवेद्याज्ञा, अन्तर्गत धारा  
88, 188 आर.टी.एक्ट  
आज्ञा विस्तृत रूप से

नांक ज्ञा या र्यवाही		विशेष विवरण
.10.2025	<p>वादी की ओर से यह वाद पत्र जरिये अभिभाषक श्री रामनिवास गुर्जर ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता ली गई। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक से की जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 24/11/25 को पेश हों।</p> <p style="text-align: center;"> उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला-जयपुर (राज.)</p>	
24/11/25	<p>अभय पक्ष उपस्थित/अभिभाषक सब न व्यापिक कार्य स्थगित रखा/ F.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य को 04/11/25 को पेश है। पत्रावली अत आदेशानुसार दि. 10/11/25 को पेश है।</p> <p style="text-align: center;"> (रीडर)</p>	
26/11/25	<p>वादीगण जरिये खैरसत माता हुमान के साथ उपस्थित होकर दाखिल खैरसत माता (हुमान पत्नी जयराम) के सम्पत्ति बाबत लिखत तलब फरमाई जाकर दावा विज्ञो डिफे जोने बाबत पेश डिफा एवं क्वेश डिफा की उमर में आख्यापनेसी 10/11/2025 निफत है एवं अब उमर उमर को हम आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः दावा विज्ञो डिफे जोने की अनुमति उदान करने की रूपा करे।</p> <p>बहुत गदग। लिखत तलब की गई। पत्रावली का आयोजन किया गया। छोटी कपीगण एवं बनी माता स्वयं अपने पद-पत्र को आगे नहीं चलाना चाहते हैं एवं दावा विज्ञो डिफे जोने बाबत सम्पत्ति एवं आदेशिका पर सहमती बाबत एताहात डिफे हैं। अतः लोक अदालत की भावना से सम्पत्ति बाबत विज्ञो पद-पत्र न्यायिक दृष्टि से स्वीकार किया जाता है एवं दावा विज्ञो डिफा जाकर खारिज डिफा जाता है। पत्रावली निर्गत सुमान होकर दाखिल दफतर है व दर्ज नैषट से कर है।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राज.</p>	<p> लेखराज</p> <p> वंश</p> <p> जयराम</p> <p></p> <p></p> <p></p>